कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.09.2024

विषय:- बलवा के मामले मे नामजद वांछित 03 अभियुक्तगण थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0-113/2024 धारा 147,148,323,504,506,325,308,326 भा0द0वि0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित शेष नामजद वांछित अभियुक्तगण 1-प्रदीप उर्फ सतीश पुत्र नन्दलाल, 2-रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र भैयालाल व 3-जगजीवन पुत्र देवनाथ समस्त निवासीगण- ग्राम सिहुलियाँ कटारी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-29.09.2024 को समय करीब 11.25 बजे कटारी मोड़ थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त में दिनांक-16.04.2024 को नामजद 06 अभियुक्तगण 1-सुभाष, 2-नन्दलाल, 3-उपेन्द्र, 4-अभिषेक, 5-राहुल व 6-राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक 14.04.2024 को वादी मुकदमा श्री मनीष कुमार पुत्र सतीश निवासी-ग्राम कटारी (सिहुलिया) थाना चोलापुर जनपद वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी व प्रार्थी के मामा प्यारेलाल पुत्र पांचू राम, जियालाल, बृजेश कुमार, गोलू कुमार, गौतम सभी लोग अम्बेडकर जयन्ती के लिये मंदिर पर माल्यार्पण के लिये गये थे तभी समय करीब 07.30 बजे शाम को विपक्षीगण जगजीवन पुत्र देवनाथ, सुभाष पुत्र देवनाथ, नन्दलाल पुत्र देवनाथ, सतीष पुत्र नन्दलाल, रविकुमार पुत्र भैयालाल, उपेन्द्र पुत्र शिवशंकर, अभिषेक पुत्र सुभाष, राजेश पुत्र जयनाथ, राहुल पुत्र जयनाथ सभी एक राय होकर लाठी-डण्डा व रॉड लेकर अचानक हम लोगों के ऊपर हमला कर दिये, जिससे प्यारेलाल व जियालाल का मौके पर ही सर फट गया और दोनों लोग बेहोश होकर मौके पर गिर पड़े, प्रार्थी ने बीच बचाव किया तो प्रार्थी को भी मारे और बृजेश का मारकर दांत तोड़ दिये और गन्दी-गन्दी गाली दिये तथा जाते वक्त कहे कि इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, अगली बार तुम लोगों को जान से मार देंगे। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चोलापुर में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रदीप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- प्रदीप उर्फ सतीश पुत्र नन्दलाल, उम्र करीब 28 वर्ष

2- रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र भैयालाल, उम्र करीब 26 वर्ष

3- जगजीवन पुत्र देवनाथ, उम्र करीब 48 वर्ष

समस्त निवासीगण- ग्राम सिहुलियाँ, कटारी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- कटारी मोड़ थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से, दिनांक-29.09.2024 को समय करीब 11.25 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 113/2024 धारा 147/148/323/504/506/325/326/308 भादवि थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 प्रदीप यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- उ0नि0प्र0 राहुल यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3- उ0नि0प्र0 शैलेन्द्र कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

4- हे0का0 मो0 शकील अहमद थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

5- हे0का0 पूरन मल थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।